		में जारी हुए
[illegible]/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी उप. प्रार्थना पत्र 212 पर बहस सुनी पत्रावली वास्ते अवलोकन आदेश दि. 26/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	
26/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर आदेश पृथक से तैयार कर पत्रावली में शामिल किया पत्रावली फैसल शुमार होकर न. संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.11 12:19:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमति निशा सहारण

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 13/2008

1. नजीर मोहम्मद पुत्र स्व. श्री सुल्तान खां, जाति मुसलमान निवासी बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ
2. हुसैन मोहम्मद पुत्र स्व. श्री सुल्तान खां जाति मुसलमान निवासी बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ

2/1 हफीज पुत्र स्व. हुसैन खां, जाति मुसलमान आयु 48 वर्ष निवासी ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।

2/2 इस्लाम पुत्र स्वत्र हुसैन खां, जाति मुसलमान आयु 45 वर्ष निवासी ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।

2/3 इकराम पुत्र स्व. हुसैन खां, जाति मुसलमान आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।

2/4 श्रीमती अमीना पुत्री स्व. श्री हुसैन खां पत्नि श्री लियाकत अली, जाति मुसलमान आयु 38 वर्ष निवासी ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ जिला अजमेर विवाह पश्चात निवास साकून, तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान।

3. रोशन पुत्र स्व. श्री सुल्तान खां जाति मुसलमान निवासी बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ
4. शाहबुद्दीन पुत्र स्व. श्री सुल्तान खां जाति मुसलमान निवासी बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ।
5. बाबू लाल पुत्र स्व. श्री सुल्तान खां जाति मुसलमान निवासी बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ।
6. रज्जाक पुत्र स्व. श्री सुल्तान खां जाति मुसलमान निवासी बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ।

प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. कमरूद्दीन पुत्र श्री भूरे खां जाति मुसलमान निवासी बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ।
2. शफी मोहम्मद पुत्र श्री कमरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ।
3. चांद मोहम्मद पुत्र कमरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ।
4. असलम पुत्र श्री शफी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ।
5. इमरान पुत्र श्री शफी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ।

– अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक 26/11/24

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रेश कुमार रामचन्दानी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के अधिकार आधिपत्य शाश्वत गैर खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1972 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा गै.मु.ता. ग्राम बान्दरसिन्दरी में स्थित है। प्रार्थीगण उपरोक्त कृषि भूमि पर मिलकर काश्त करते है वर्तमान में उपरोक्त भूमि पर चना गेहू की फसल काश्त कर रखी है वर्तमान में काश्त फसल जमीन से लगभग $1-1\frac{1}{2}$ फीट ऊंची आ चुकी है। अप्रार्थीगण एक ही परिवार के है। प्रार्थीगण की उपरोक्त काश्त शुदा फसल कृषि को ल... ...जिश रखते है एवं प्रार्थीगण को उपरोक्त कृषि भूमि से बलात बेदखल करना चाहते है ... प्रार्थीगण सहित किसी अन्य को विधिक अधिकार नही है। अप्रार्थीगण ने ... उल्लेखित भूमि को लेकर माननीय न्यायालय उपखण्ड कार्यालय किशनगढ में कमरूद्दीन विरूद्ध नजीर मौहम्मद वगै. उनवान से वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संस्थित किया ... उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 4.12.2007 को प्रार्थीगण के अधिकार आधिपत्य मानकर अप्रार्थी कमरूद्दीन का प्रार्थना पत्र अपास्त किया गया। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के अधिकार आधिपत्य की शाश्वत गैर खातेदारी की भूमि पर उपरोक्त काश्त शुदा फसल को नष्ट कर प्रार्थीगण को बलात बेदखल करना चाहते है। अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के अधिकार भूमि में किसी प्रकार का विधिक अधिकार नही है। दिनांक 20.01.2008 को अप्रार्थीगण एक साथ प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.11 12:19:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

प्रार्थना पत्र पेरा संख्या 1 में उल्लेखित भूमि पर आकर प्रार्थीगण की काश्त शुदा फसल को नष्ट करने पर उद्यत हुए। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के प्रतिरोध पर सफल नही हो सके किन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को सरे आम चुनौती दे चुके है कि प्रार्थीगण की काश्त फसल को नष्ट कर प्रार्थीगण को बलात बेदखल करके रहेगे। प्रस्तुत प्रकरण हेतु वाद कारण अप्रार्थीगण के उपरोक्त दुर्भावनायुक्त कृत्य दिनांक 20.01.2008 के अवैध अनाधिकृत कृत्य से उत्पन्न हो आज तक सतत है। प्रथम दृष्टया पक्ष सुविधा का सन्तुलन अपूर्तनीय क्षति तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से अच्छे स्वत्व अधिकार आधिपत्य रखते है। प्रार्थीगण का उपरोक्त काश्त अधिकार विधि से संरक्षित है इस परिवेश में प्रथम दृष्टया पक्ष सुविधा का सन्तुलन अपूर्तनीय क्षति तीनो बिन्दू प्राथीगण के पक्ष में है। प्रस्तुत प्रकरण राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम अन्तर्विष्ट अनुसूचि तृतीय अनुसार न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार है। प्रस्तुत प्रकरण सुनवाई हेतु वांछित न्याय शुल्क मुद्रांक चरपा है एवं प्रकरण कारण दिनांक 20.01.2008 के अन्दर मयाद अवधि में प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 1 में वर्णित ग्राम बान्दरसिन्दरी स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1972/1 मि. रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण उनके परिजन एजेन्ट कोई दखलन्दाजी नही करे, प्रार्थीगण को बलात बेदखल नही करे, प्रार्थीगण की काश्त फसल को किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नही करे, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश अप्रार्थीगण के विरूद्ध पारित किये जावें।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 25.01.2008 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 13/2008 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थीगणों की ओर से वकील श्री चालक सिंह उपस्थित हुये। दिनांक 10.03.2008 तक भी जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 10.03.2008 को वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर अन्तरिम बहस सुनी गई तथा अप्रार्थीगणों के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई।

दिनांक 17.03.2008 को वकील अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया गया कि वादअधीन भूमि में अप्रार्थीगणों का 1/2 हिस्सा पारिवारिक बंटवारा दिनांक 18.09.1990 के अनुसार है, जिसपर प्रार्थीगण के हस्ताक्षर है इस बंटवारे में प्रार्थीगण ने तालाब खातोलाई पेटे की भूमि खसरा संख्या 1972 रकबा 33 बीघा 04 बीस्वा में से 1/2 हिस्सा सुल्तान खान एवं कमरूद्दीन एवं उसकी माता गलकू बेवा भूरे खां का होना स्वीकार किया है अर्थात खसरा संख्या 1972 जिसके वर्तमान नम्बर 1972/2 रकबा 16 बीघा 12 बीस्वा का 1/2 हिस्सा अर्थात 08 बीघा 06 बीस्वा अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है तथा सभी शाश्वत गैर खातेदार है जिन्हे धारा 16 राज. का अधि. के तहत खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उक्त भूमि के 1/2, 1/2 भाग में काबिज काश्त है अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. को खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 26.03.2024 को वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03, 09 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा संशोधित शीर्षक रिकार्ड पर लिया गया।

दिनांक 20.11.2024 को वकील अप्रार्थी अनुपस्थित रहने से वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. पर अन्तिम बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2061–64 ग्राम बान्दरसिन्दरी खसरा संख्या 1972/2 मिन से ताईद है कि प्रार्थीगण उक्त भूमि में शाश्वत गैर खातेदार है तथा भूमि की किस्म गै.मु. तालाब है, जिन्हे कि राज. का. अधि. के तहत खातेदार नहीं माना जाता है तथा इसी की रूह में अप्रार्थीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दि[illegible]11/24 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.11 12:19:22 IST
Reason: SelfAttested

निशा सहारण (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)